कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / जी / प्रवेशोत्सव / 2016–17 दिनांकः– 11/04/2016

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा(समस्त)

प्रवेशोत्सव 2016–17 के संबंध में
(प्रवेशोत्सव के दिशा–निर्देश–1)

विषयः– राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना :2016–17

1 प्रस्तावनाः–विगत वर्षो में प्रदेश की गांव–ढाणियों में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक की अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात भी राजकीय विद्यालयों में नामांकन में अपेक्षित वृद्वि नही होने तथा विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्वि व ड्रॉप आउट की दिशा में वांछित सुधार दृष्टिगोचर नही होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में विगत वर्ष माह मई एवं जून में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्वि हेतु दो चरणों में वृहद अभियान चलाया गया था । उक्त अभियान के सकारात्मक परिणाम के रूप में राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सफल नामांकन में वर्ष 2014–15 की तुलना में वृद्वि हुई है उक्त क्रम में आगामी वर्ष हेतु इस वर्ष भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के आयोजन बाबत राज्य सरकार के विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये है राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएं यथा निःशुल्क पाठय पुस्तकें का वितरण , छात्र दुर्घटना बीमा , मिड–डे–मील, कक्षा 8 के मेघावी विद्यार्थियों पीसीटेबलेट वितरण की सूविधाएं एवं अनेक प्रकार की छात्रवृतियां एवं प्रोत्साहन योजनाएं आदि की सुविधाएं दिये जाने के पश्चात भी अपेक्षित नामांकन मे वृद्वि नही होने से नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना के माध्यम से नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने के क्रम में प्रभावी मोनेटरिंग सुनिश्चित की जायेगी ।

2 नामांकन लक्ष्यः– राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2016–17 , 2017–18 एवं 2018–19 में नामांकन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। उक्त क्रम में प्रत्येक प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय में गत वर्ष के नामांकन में 10 प्रतिशत वृद्वि सुनिश्चिता सम्बन्धित संस्था प्रधानों एवं स्टाफ द्वारा समन्वित प्रयासों से की जायेगी ।

3 नामांकन वृद्वि हेतु प्रचार–प्रसार :–राजकीय विद्यालयों में नामांकन से वंचित समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किये जाने हेंतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं अधिकतम लक्ष्य उपलब्धि के क्रम में प्रवेशोत्सव को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कर जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर नामांकन लक्ष्य अर्जन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्वोल्लेखित इस कार्यालय समसख्यक पत्र दिनांक 29.03.2016 में कार्यक्रम रूपरेखा द्वारा विस्तृत उल्लेख किया गया है । उक्त बाबत निजी शिक्षण संस्थओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भी अधिकाधिक नामांकन राजकीय विद्यालयों में करवाये जाने हेतु कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश तत्काल किया जाकर दिनांक 1 अप्रेल 2016 से विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किये जाने के निर्देश पुर्व में ही प्रदान किये जा चुके है ।

4 नामांकन लक्ष्य पूर्ति हेतु मॉनिटरिंग (प्रबोधन) :–

अ–संस्था प्रधान स्तर पर – नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्था प्रधान व्यतिगत रूचि लेकर प्रवेशोत्सव के दोनो चरणों में अपनी शाला के अधिकतम नामांकन के लक्ष्यों को सुनिश्चित करेगें तथा इसमें अपने शाला स्टाफ , शिक्षक–अभिभावक परिषद, शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति अपने क्षेत्र के पार्षद / वार्ड पंच / सरपंच / जन प्रतिनिधियों / भामाशाहों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सर्म्पक कर नामांकन लक्ष्य को पूर्ण करेगें तथा व्यक्तिगत रूप से इसका सतत् प्रबोधन करेगें। उक्त बाबत प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से पूर्व मौजूदा वर्ष हेतु विद्यालय को आंवटन को आंवटित कक्षावार नामांकन के लक्ष्य अर्जन की वस्तुस्थिति की समीक्षा समस्त स्टाफ के साथ की जाकर इस वर्ष के शेष रहे नामांकन लक्ष्यों का समायोजन करते हुए आगामी वर्ष हेतु प्रदत्त कक्षावार नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाकर समस्त स्टाफ को नामांकन के व्यक्तिगत लक्ष्य आंवटित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ प्रतिदिन समीक्षा करें ताकि आंवटित लक्ष्य शत–प्रतिशत अर्जित हो सकें । नामांकन लक्ष्य पूर्ति / प्रवेशोत्सव के पश्चात संस्था प्रधान स्टाफ के साथ मासिक समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगें कि प्रवेश किये गये नामांकित बच्चे विद्यालय से ड्रॉप–आउट तो नही हो रहे है । एक बार प्रवेश के पश्चात नियमित रूप से तीन माह तक अधिक देखरेख व प्रभावी पर्यवेक्षण से ड्रॉप–आउट की दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है । ड्रॉप–आउट से सम्बन्धित बच्चों के अभिभावकों से निरन्तर समन्वय व संपर्क से भी ठहराव में सुधार हो सकेगा ।

ब–जिला शिक्षा अधिकारी स्तरः–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अपने कार्यालय में शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु नॉडल अधिकारी नियुक्ति कर प्रतिदिन प्रगति रिर्पोट के साथ विद्यालयवार प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन की साप्ताहिक समीक्षा करेगें । शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगें । जिन विद्यालयों में नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नही हो पा रही है, वहां जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जाकर उस सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों , प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों से सम्पर्क कर उस क्षेत्र के नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करेंगें ।

स–उप निदेशक स्तरः–उप निदशक (प्रारम्भिक शिक्षा) मण्डल अधिकारी अपने अधीनस्थ जिलों को प्रभावी प्रबोधन करने हेतु अपने कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक (शैक्षिक) को नॉडल अधिकारी नियुक्त कर साप्ताहिक नामांकन संबंधी लक्ष्य की जानकारी अपने अधिनस्थ जिलों से प्राप्त कर समीक्षा करेंगें। जिन जिलों में नामांकन उपलब्धि लक्ष्य से कम अर्जित हो रही है , उन जिलों का भ्रमण कर जिला शिक्षा अधिकारी , शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी से नियमित सम्पर्क में रह कर नामांकन अर्जन की दिशा में आ रही कठिनाईयों एवं समस्याओं को निराकरण करने हेतु निरन्तर सम्बलन प्रदान करेंगे ।

द–निदेशालय स्तर :– निदेशालय स्तर पर सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी) पाक्षिक समय अन्तराल से गत पखवाडे के नामांकन लक्ष्य की समीक्षा हेतु जिलेवार रिर्पोट प्राप्त कर उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) से समन्वय कर प्रभावी समीक्षा करेंगे । मौजूदा वर्ष के नामांकन लक्ष्यों की समीक्षा से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि कक्षा 1 से 5 में नामांकन वृद्वि अपेक्षानुरूप नही रही है इस वर्ष समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में क्रियान्वयन से प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है । उक्तानुरूप उक्त कक्षाओं में नामांकन लक्ष्य अर्जन हेतु सांख्यिकी अधिकारी (साख्यिकी) से आवश्यक समन्वय कर प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन को विशेष रूप से मॉनिटर किया जायेगा ।

य–पुरस्कार एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही :– संस्था प्रधान/अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय के नामांकन के लक्ष्य को पूरा करने/अधिक लक्ष्य प्राप्त करने पर संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर संस्था प्रधानों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जो संस्था प्रधान/अध्यापक नामांकन लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे उनके विरूद्ध विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय,राजस्थान सरकार ,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
3. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान,जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा(आयोजना) विभाग,जयपुर।
5. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थाना,बीकानेर।
6. निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर
8. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा **समस्त** को भिजवाकर लेख है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रमसमयबद्ध रूप से सुचारू रूप से संपादित करने एवं निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु आपअपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करते हुए प्रभावी मोनेटरिंग करें।
9. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,पंचायत समिति———
10. अनुभागाधिकारी बजट,योजना अनुभाग कार्यालय हाजा
11. संपादक, शिविरा पत्रिका को तीन प्रतियों में प्रकाशनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर